मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त, 2003 (श्रावण 17, 1925)

समय प्रातः 9.00 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जेहर सिंह मरावी, सदस्य, डिण्डोरी जिले के ग्राम सिधो में राहत मद से कराये गये कार्यों की श्रमिकों को मजदूरी न दिये जाने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले की राजघाट सिंचाई परियोजना की नहरों का कार्य अपूर्ण होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, पन्ना रेंज के रेंजर द्वारा आंवला तुड़ाई में लगे श्रमिकों को मजदूरी न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, खरगौन जिले की जामन्या सिंचाई परियोजना की डूब में प्रभावित कृषकों को मुआवजा न मिलने से आत्महत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री बाबूलाल गौर, सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम ज्योरामोरा के हत्याकांड में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, अजय विश्नोई, सदस्य, प्रदेश के विद्युत संयंत्रों का रख-रखाव उचित ढंग से न होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर में मादक पदार्थो की अवैध बिक्री होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में फ्लोराईडयुक्त पेयजल प्रदाय होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, लवकेश सिंह, सदस्य, सतना जिले के जैतवारा में नगरीय भूमि पर संपत्ति कर निर्धारण में त्रुटि होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री भगवत सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम छावड़ा से एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बैतूल जिले के कृषकों को फसल बीमा की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, भिण्ड जिले के रौन कस्बे में अवैध रूप से चल रहे वीडियो थियेटर में कई लोगों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से फीस के नाम पर लूट किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकषित करेंगे.

(14) सर्वश्री वल्लभ भाई अम्बावतिया, लालसिंह राणावत, मुन्नासिंह, सदस्य, नागदा में दो युवकों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सेवाराम गुप्ता, मुन्नासिंह, सदस्य, प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किश्त न दिये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, शिवपुरी जिले के इन्दार में एक युवक की हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे,

(17) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ नगर में शासकीय भूमि को लीज पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम टेहटा हिम्मतपुर में बीमार आदिवासियों का समुचित इलाज न होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, ग्वालियर जिले के सुनारपुरा अस्पताल में भर्ती युवक की पुलिस अभिरक्षा में मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री भागवत भाऊ नागपुरे, सदस्य, लांजी क्षेत्र के ग्राम बहेला के बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री तेज सिंह सेंधव, सदस्य, खंडवा जिले के सीवल में संचालित छात्रावास की छत गिरने से एक छात्र की मौत होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री मनोहर ऊंटवाल, मुंशीलाल, लालसिंह राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले में डबरिया निर्माण में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश में फ्लोराईड नियंत्रण का कार्य विफल होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम गढ़ी में आग से क्षतिग्रस्त मकानों की राहत राशि न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, रतलाम जिले में छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, भोपाल के टी.टी.नगर क्षेत्र में स्थित माडल हायर सेकेण्डरी विद्यालय परिसर के भवन को किराये से दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शंकरबाग स्थित भूमि को फर्जी रूप से एक व्यक्ति को दी जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में ड्राप्सी नामक बीमारी का प्रकोप होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु आवंटित राशि का उपयोग न होने की ओर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री बाबूलाल गौर, मुन्नासिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के ताप गृहों से कोयला चोरी होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश के झाबुआ सहित अन्य जिलों में चिकिन पाक्स के प्रकोप से कई बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा निर्धन छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम भंडार पानी में आदिवासियों के मकान वन कर्मियों द्वारा जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, इन्दौर में विद्युत मंडल द्वारा अधिक राशि का विद्युत देयक दिये जाने से एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री मुंशीलाल, सदस्य, ग्वालियर जिले के घाटीगांव वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर स्थित ग्रेसिम मिल के श्रमिकों को वेतन न दिये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के बरघाट चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, मुंशीलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम गुंदरई से ग्रामीणों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री मुंशीलाल, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पिपरिया स्थित कुएं से जहरीली गैस का रिसाव होने से तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री धूल सिंह यादव, "वकील", सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ बहत्तरवां से एक सौ चौरासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती सविता दीवान, सभापति, विशेषाधिकार समिति का पंचम्, षष्टम् ,सप्तम्, अष्टम्, नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(3) श्री पी.सी.शर्मा, संयोजक, सतना जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों से फैल रहे प्रदूषण की जांच संबंधी विशेष जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य

(1) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, शासकीय सेवकों की सेवा शर्तें एवं वेतनमान पुनरीक्षण के संबंध में ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसाओं पर शासन द्वारा लिये गए निर्णय के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा जेल मंत्री, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की गतिविधियों तथा जेल विभाग में किये गये विकास कार्यों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(4) श्री डोमन सिंह नगपुरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(5) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग की गतिविधियों के संबंध में वक्तव्य देंगी.

-3-

6. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति

श्रीमती सविता दीवान, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

" यह सदन दिनांक 8 अगस्त, 2003 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के पंचम्, षष्टम्, सप्तम्, अष्टम्, नवम् एवं दशम् प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करे."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजा पटैरिया, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री, एन आई आई टी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राजा पटैरिया, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री, जे पी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 37 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) दीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण विधेयक, 2003 (क्रमांक 31 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 32 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) दीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 33 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 34 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री मानवेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री गणपति मन्दिर खजराना (इन्दौर) विधेयक, 2003 (क्रमांक 35 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) श्री राजा पटैरिया, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि एन आई आई टी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री राजा पटैरिया, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि जे पी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 37 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा-भोपाल के मध्य चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुये उसमें लगने वाली बोगियों की संख्या बढ़ाई जाये."

40 मि. (2) सर्वश्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में सामान्य जातियों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को 14 प्रतिशत आरक्षण शासकीय सेवा व अन्य सेवाओं में भी दिये जाने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया जाय."

30 मि. (3) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय."

30 मि. (4) श्री नित्यनिरंजन खम्परिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि दल परिवर्तन पर अंकुश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों को कठोर बनाने हेतु यह संशोधन किया जाय कि किसी दल के टिकट से निर्वाचित होने वाले सदस्य के किसी अन्य दल में शामिल होने की दशा में उसकी सदस्यता समाप्त समझी जावेगी."

30 मि. (5) श्री जोधाराम गुर्जर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मंत्रि-परिषद् का आकार विधान मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखने हेतु संविधान में संशोधन किया जाये."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 7 अगस्त, 2003